राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं राज. जयपुर

क्रमांकः– नर्सिंग / नर्स–1 / से.नि–1 / 2019 /   दिनांकः–

–:आदेश:–

श्री रामप्रसाद कछवाहा, (जन्म तिथि 30.09.1959) नर्स प्रथम, कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय नं. 3 कोटा को राज्य सेवा में 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर दिनांक 30.09.2019 को मध्यान्ह् पश्चात् राज्य सेवा से सेवानिवृत किया जाता हैः–

यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त नर्सिंग कार्मिक के विरूद्ध :–

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम–16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन / लंबित नही है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम–19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन / लंबित नही है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन / लंबित नही है।

(मुकुल शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं
राजस्थान जयपुर

क्रमांकः– नर्सिंग / नर्स–1 / से.नि–1 / 2019 / 438   दिनांकः 30.09.19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निदेशक, पेंशन एंव पेंशनर्स वैलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,कोटा।
3. उप निदेशक, निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, ई0एस0आई0 योजना,लक्ष्मी नगर, अजमेर रोड, जयपुर को उनके पत्रांक प.18 / ई–3 / नर्सिंग / पैरामेडिकल / से.नि. / ईएसआई / 19 / 1449 दिनांक 16.09.2019 के क्रम में।
4. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय नं.3, कोटा।
5. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करे।
6. श्री रामप्रसाद कछवाहा नर्स प्रथम द्वारा प्रशासनिक अधिकारी।
7. आदेश / निजी पत्रावली।

(मुकुल शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं
राजस्थान जयपुर